

214  
447  
321  
न्यायालय समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर  
निगरानी क्र.



1. राममनोरथ तनय राजधर पटेल उम्र 54 साल, पेशा खेती व नौकरी  
निवासी ग्राम रौरा, थाना व तहसील मनगवा जिला रीवा म. प्र. ....  
..... आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

- R-1189-II/12  
1. श्रीमती सुषमा पटेल पति श्री कमलनयन पटेल निवासी ग्राम रौरा अन्मूलन  
थाना व तहसील मनगवा जिला रीवा म. प्र. ....

..... आवेदिका/गैर पुनरीक्षणकर्ता

निगरानी विरुद्ध पुस्तीकरण आदेश तहसीलदार  
तहसील मनगवा जिला रीवा म. प्र. दिनांक 27.02.  
2012 जरिफ पत्रावली क्र. 05 अ 12/2011-12  
बावत, सीमांकन एवं नक्शा तर्मीम भूमि खसरा क्र.  
703/1/2, 704/1/2, 703/3, 704/3 स्थित  
ग्राम रौरा उन्मूलन तहसील मनगवा जिला रीवा।  
निगरानी अन्तर्गत आदेश 50(1) म. प्र. भू. रा. संहिता  
वर्ष 1959।

अधिवक्ता श्री शिवदास वर्मा  
द्वारा प्रस्तुत  
दिनांक 24.4.2012  
24.4.12

30.4.12

मान्यवर,

पुनरीक्षण याचिका के आधार निम्न लिखित हैं:-


1. यहकि अदालत मातहत का पुस्तीकरण आदेश दिनांक 27.02.12 खिलाफ  
विधि प्रक्रिया एवं शहादत के होने से काबिल निरस्तगी है।
2. यहकि विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कतई गौर नहीं  
किया कि पूर्व से आवेदित भूमि खसरा क्र. 704/1/2, 704/3,  
703/1/2, 703/3 के सीमांकन हेतु जो आवेदन पत्र अनावेदिका द्वारा  
हस्व धारा 124 एवं 129 म. प्र. भू. रा. संहिता वर्ष 1959 के दिनांक 17.06.  
11 को प्रस्तुत की थी, वह विधि एवं नियमों के अनुसार प्रस्तुत नहीं की  
गई थी तथा आवेदित भूमि के चारों तरफ किन-किन काश्तकारों के  
स्वत्व की भूमियाँ स्थित हैं इसका भी उल्लेख नहीं किया है। इससे

(214)  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निग01189- II / 2012

जिला-रीवा

राममनोरथ पटेल / श्रीमती सुषमा पटेल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील के प्रकरण क्रमांक 05/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 27.02.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मनगवां, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	